



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 661]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 11, 2019/माघ 22, 1940

No. 661]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 11, 2019/MAGHA 22, 1940

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2019

का.आ. 783(अ).—केंद्रीय सरकार, चाय नियम, 1954 के नियम 4 और 5 के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए चाय बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है और निर्देश देती है कि भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (चाय नियंत्रण) की अधिसूचना सं. का.नि.आ. 944, तारीख 17 मार्च, 1954 में निम्नलिखित और संशोधन किए जाएंगे, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 1 से 32 और उनसे संबन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“1.	रिक्त	अध्यक्ष	नियम 4 के उप नियम (1) के अधीन नियुक्त
2.	सचिव, उद्योग, वाणिज्य और उद्यम विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार, कोलकाता।	सदस्य	प्रमुख चाय उपजकर्ता राज्यों की सरकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त।
3.	प्रधान सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग, त्रिपुरा सरकार, अगरतला।	सदस्य	प्रमुख चाय उपजकर्ता राज्यों की सरकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त।

4.	सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, तमिलनाडु सरकार, चेन्नई।	सदस्य	प्रमुख चाय उपजकर्ता राज्यों की सरकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त।
5.	कृषि उत्पादन आयुक्त और प्रधान सचिव, कृषि विभाग, केरल सरकार, तिरुवनंतपुरम।	सदस्य	प्रमुख चाय उपजकर्ता राज्यों की सरकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त।
6.	आयुक्त और सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग, असम सरकार, गुवाहाटी।	सदस्य	प्रमुख चाय उपजकर्ता राज्यों की सरकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त।
7.	सचिव या प्रधान सचिव या अपर मुख्य सचिव (कृषि), हिमाचल सरकार, शिमला।	सदस्य	प्रमुख चाय उपजकर्ता राज्यों की सरकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त।
8.	श्री रामेन डेका, संसद सदस्य, लोक सभा।	सदस्य	नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (ख) के अधीन संसद का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
9.	श्री पी.नागराजन, संसद सदस्य, लोक सभा।	सदस्य	नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (ख) के अधीन संसद का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
10.	श्रीमती शांता क्षेत्री, संसद सदस्य, राज्य सभा।	सदस्य	नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (ख) के अधीन संसद का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
11.	रिक्त	सदस्य	नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (ग) के अधीन चाय के बागानों और बागों तथा चाय उपजकर्ताओं के स्वामियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
12.	रिक्त	सदस्य	नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (ग) के अधीन चाय के बागानों और बागों तथा चाय उपजकर्ताओं के स्वामियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
13.	रिक्त	सदस्य	नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (ग) के अधीन चाय के बागानों और बागों तथा चाय उपजकर्ताओं के स्वामियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
14.	रिक्त	सदस्य	नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (ग) के अधीन चाय के बागानों और बागों तथा चाय उपजकर्ताओं के स्वामियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
15.	रिक्त	सदस्य	नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (ग) के अधीन चाय के बागानों और बागों तथा चाय उपजकर्ताओं के स्वामियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
16.	रिक्त	सदस्य	नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (ग) के अधीन चाय के बागानों और बागों तथा चाय उपजकर्ताओं के स्वामियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
17.	रिक्त	सदस्य	नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (ग) के अधीन चाय के बागानों और बागों तथा चाय उपजकर्ताओं के स्वामियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
18.	रिक्त	सदस्य	नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (ग) के अधीन चाय के बागानों और बागों तथा चाय उपजकर्ताओं के स्वामियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
19.	रिक्त	सदस्य	नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (घ) के अधीन चाय के बागानों और बागों तथा चाय उपजकर्ताओं के स्वामियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

20.	रिक्त	सदस्य	नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (घ) के अधीन चाय के बागानों और बागों तथा चाय उपजकर्ताओं के स्वामियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
21.	रिक्त	सदस्य	नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (घ) के अधीन चाय के बागानों और बागों तथा चाय उपजकर्ताओं के स्वामियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
22.	रिक्त	सदस्य	नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (घ) के अधीन चाय के बागानों और बागों तथा चाय उपजकर्ताओं के स्वामियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
23.	रिक्त	सदस्य	नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (घ) के अधीन चाय के बागानों और बागों तथा चाय उपजकर्ताओं के स्वामियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
24.	रिक्त	सदस्य	नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (ङ) के अधीन चाय के निर्यातकों और आंतरिक व्यापारियों दोनों सहित व्यवहारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
25.	रिक्त	सदस्य	नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (ङ) के अधीन चाय के निर्यातकों और आंतरिक व्यापारियों दोनों सहित व्यवहारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
26.	रिक्त	सदस्य	नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (च) के अधीन चाय के विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
27.	रिक्त	सदस्य	नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (च) के अधीन चाय के विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
28.	रिक्त	सदस्य	नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (छ) के अधीन चाय के उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
29.	रिक्त	सदस्य	नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (छ) के अधीन चाय के उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
30.	रिक्त	सदस्य	नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (ज) के अधीन अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
31.	रिक्त	सदस्य	नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (ज) के अधीन अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
32.	उपधायक, चाय बोर्ड, कोलकाता	पदेन-सदस्य	नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (क क) के अधीन नियुक्त।”।

[फा. सं. टी-49019/1/2018-बागान-(क)]

बी. प्रवीण, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में सा.नि.आ.सं 944 तारीख 17 मार्च, 1954 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. का.आ. 1140 (अ.), तारीख 14 मार्च, 2018 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th February, 2019

S.O. 783(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), read with rules 4 and 5 of the Tea Rules, 1954, the Central Government hereby appoints the following persons as Chairman and members of the Tea Board, for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette and direct that the following further amendments shall be made in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Commerce and Industry (Tea Control), number S.R.O. 944, dated the 17th day of March, 1954, namely:—

In the said notification, for serial numbers 1 to 32 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—


“1.	Vacant	Chairman	appointed under sub-rule (1) of rule 4.
2.	Secretary, Department of Industry, Commerce and Enterprises, Government of West Bengal, Kolkata.	Member	representing the Government of the principal tea growing States appointed under clause (a) of sub-rule (1) of rule 4.
3.	Principal Secretary, Department of Industries and Commerce, Government of Tripura, Agartala.	Member	representing the Government of the principal tea growing States appointed under clause (a) of sub-rule (1) of rule 4.
4.	Secretary to Government, Micro, Small and Medium Enterprises Department, Government of Tamil Nadu, Chennai.	Member	representing the Government of the principal tea growing States appointed under clause (a) of sub-rule (1) of rule 4.
5.	Agricultural Production Commissioner and Principal Secretary, Agriculture Department, Government of Kerala, Thiruvananthapuram.	Member	representing the Government of the principal tea growing States appointed under clause (a) of sub-rule (1) of rule 4.
6.	Commissioner and Secretary to the Government, Industry and Commerce Department, Government of Assam, Guwahati.	Member	representing the Government of the principal tea growing States appointed under clause (a) of sub-rule (1) of rule 4.
7.	Secretary or Principal Secretary or Additional Chief Secretary (Agriculture) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla.	Member	representing the Government of the principal tea growing States appointed under clause (a) of sub-rule (1) of rule 4.
8.	Shri Ramen Deka, Member of Parliament, Lok Sabha.	Member	representing Parliament under clause (b) of sub-rule (1) of rule 4.
9.	Shri P. Nagarajan, Member of Parliament, Lok Sabha.	Member	representing Parliament under clause (b) of sub-rule (1) of rule 4.
10.	Shrimati Shanta Chhetri, Member of Parliament, Rajya Sabha.	Member	representing Parliament under clause (b) of sub-rule (1) of rule 4.
11.	Vacant	Member	representing owners of tea estates and gardens and growers of tea under clause (c) of sub-rule (1) of rule 4.
12.	Vacant	Member	representing owners of tea estates and gardens and growers of tea under clause (c) of sub-rule (1) of rule 4.
13.	Vacant	Member	representing owners of tea estates and gardens and growers of tea under clause (c) of sub-rule (1) of rule 4.
14.	Vacant	Member	representing owners of tea estates and gardens and growers of tea under clause (c) of sub-rule (1) of rule 4.
15.	Vacant	Member	representing owners of tea estates and gardens and growers of tea under clause (c) of sub-rule (1) of rule 4.

16.	Vacant	Member	representing owners of tea estates and gardens and growers of tea under clause (c) of sub-rule (1) of rule 4.
17.	Vacant	Member	representing owners of tea estates and gardens and growers of tea under clause (c) of sub-rule (1) of rule 4.
18.	Vacant	Member	representing owners of tea estates and gardens and growers of tea under clause (c) of sub-rule (1) of rule 4.
19.	Vacant	Member	representing persons employed in Tea Estates and Gardens under clause (d) of sub-rule (1) of rule 4.
20.	Vacant	Member	representing persons employed in Tea Estates and Gardens under clause (d) of sub-rule (1) of rule 4.
21.	Vacant	Member	representing persons employed in Tea Estates and Gardens under clause (d) of sub-rule (1) of rule 4.
22.	Vacant	Member	representing persons employed in Tea Estates and Gardens under clause (d) of sub-rule (1) of rule 4.
23.	Vacant	Member	representing persons employed in Tea Estates and Gardens under clause (d) of sub-rule (1) of rule 4.
24.	Vacant	Member	representing dealers including both exporters and internal traders of tea under clause (e) of sub-rule (1) of rule 4.
25.	Vacant	Member	representing dealers including both exporters and internal traders of tea under clause (e) of sub-rule (1) of rule 4.
26.	Vacant	Member	representing manufacturer of tea under clause (f) of sub-rule (1) of rule 4.
27.	Vacant	Member	representing manufacturer of tea under clause (f) of sub-rule (1) of rule 4.
28.	Vacant	Member	representing consumers of tea under clause (g) of sub-rule (1) of rule 4.
29.	Vacant	Member	representing consumers of tea under clause (g) of sub-rule (1) of rule 4.
30.	Vacant	Member	representing other interests under clause (h) of sub-rule (1) of rule 4.
31.	Vacant	Member	representing other interests under clause (h) of sub-rule (1) of rule 4.
32.	Deputy Chairman, Tea Board, Kolkata	Ex-Officio Member	appointed under clause (aa) of sub-rule (1) of rule 4.”.

[F.No.T-49019/1/2018-Plant (A)]

B. PRAVEEN, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 18th day of March, 1954 *vide* S.R.O. No. 944, dated the 17th day of March, 1954, and was last amended *vide* notification number S.O. 1140 (E) dated the 14th March, 2018.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.1038]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 8, 2019/फाल्गुन 17, 1940

No.1038]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 8, 2019/ PHALGUNA 17, 1940

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2019

का.आ. 1172(अ).—केन्द्रीय सरकार, चाय नियम, 1954 के नियम 4 और 5 के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 10 फरवरी, 2022 तक के लिए निम्नलिखित व्यक्ति को चाय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है और उस प्रयोजन हेतु भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (चाय नियंत्रण) की अधिसूचना सं. का.नि.आ.944, तारीख 17 मार्च, 1954 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात् :-

“1.	श्री प्रभात कमल बेजबोरुआ, फ्लैट 41, 17 लोअर रेंज, कोलकाता-700017, पश्चिम बंगाल ।	अध्यक्ष	नियम 4 के उप-नियम (1) के अधीन नियुक्त ।”।
-----	--	---------	--

[फा.सं.टी-49019/1/2018-प्लान्ट(क)]

बी. प्रवीण, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) में का.नि.आ.सं. 944, तारीख 17 मार्च, 1954 द्वारा तारीख 18 मार्च, 1954 को प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. का.आ. 783 (अ.), तारीख 11 फरवरी, 2019 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 2019

S. O. 1172(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953) read with rules 4 and 5 of the Tea Rules, 1954, the Central Government hereby appoints the following person as Chairman of the Tea Board with effect from the date of publication of this notification upto the 10th day of February, 2022, and for that purpose makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Commerce and Industry (Tea Control) number S.R.O. 944, dated the 17th March, 1954, namely:-

In the said notification, for serial number 1 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

“1.	Shri Prabhat Kamal Bezboruah, Flat 41, 17 Lower Range, Kolkata-700017, West Bengal.	Chairman	appointed under sub-rule (1) of rule 4.”.
-----	---	----------	--

[F.No.T-49019/1/2018-Plant(A)]

B. PRAVEEN, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 18th March, 1954 *vide* number S.R.O. 944, dated the 17th March, 1954, and lastly amended *vide* notification number S.O.783 (E), dated the 11th February, 2019.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1159]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 9, 2019/फाल्गुन 18, 1940

No. 1159]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 9, 2019/PHALGUNA 18, 1940

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2019

का.आ. 1295(अ).—केन्द्रीय सरकार, चाय नियम, 1954 के नियम 4 और 5 के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 10 फरवरी, 2022 तक के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को चाय बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है और उस प्रयोजन हेतु भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (चाय नियंत्रण) की अधिसूचना सं. का.नि.आ. 944, तारीख 17 मार्च, 1954 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 11 से 16, 19 से 22, 24 और 26 से 31 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात् :—

“11.	श्री बी.कुमारन, 6/415, होन्नाथली, बिल्लिकोंबी (पोस्ट), नीलगिरीज -643214, तमिलनाडु।	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ग) के अधीन चाय के बागानों और बागों तथा चाय उपजकर्ताओं के स्वामियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
12.	श्री बिपान सिंगल, सचिव, लघु उद्योग भारती—उत्तर बंगाल इकाई, माग टी प्राइवेट लिमिटेड, प्रीमियम अपार्टमेंट, द्वितीय तल, शिव मंदिर रोड, पंजाबीपाड़ा, सिलीगुड़ी-734001 पश्चिम बंगाल।	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ग) के अधीन चाय के बागानों और बागों तथा चाय उपजकर्ताओं के स्वामियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

13.	श्रीमती दीकी ताशी बांकचुक, ताशी उत्पल, तातोंग गर्वनमेंट स्कूल के नीचे, तातोंग, डाकघर दारा गांव, गंगटोक-737102 सिक्किम।	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ग) के अधीन चाय के बागानों और बागों तथा चाय उपजकर्ताओं के स्वामियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
14.	श्री किशोरी लाल अगरवाल, आई ए, 137, सैक्टर 3, साल्ट लेक, कोलकाता-700096, पश्चिम बंगाल।	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ग) के अधीन चाय के बागानों और बागों तथा चाय उपजकर्ताओं के स्वामियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
15.	अध्यक्ष, भारतीय चाय संघ, रॉयल एक्स्चेंज, 6, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700001।	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ग) के अधीन चाय के बागानों और बागों तथा चाय उपजकर्ताओं के स्वामियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
16.	अध्यक्ष, द यूनाइटेड प्लांटर्स एसोशिएशन ऑफ सदर्न इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर -11, ग्लेनव्यू, कुनूर-643101।	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ग) के अधीन चाय के बागानों और बागों तथा चाय उपजकर्ताओं के स्वामियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
19.	महासचिव, असम चाह मजदूर संघ, जीवन फुकान नगर, डिब्रूगढ़-786003, असम।	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (घ) के अधीन चाय एस्टेटों और बागानों में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
20.	सुश्री बीना श्रीवास्तव, पत्नी श्री महेन्द्र नाथ, ग्राम - डुगनी, पो.ओ. महाहू, तह. पालमपुर, जिला-कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (घ) के अधीन चाय एस्टेटों और बागानों में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
21.	अध्यक्ष, भारतीय चाय संघ, इंडिया एक्स्चेंज, 4, महाराणा प्रताप सारणी, 7वां तल, इंडिया एक्स्चेंज प्लेस, कोलकाता-700001।	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (घ) के अधीन चाय एस्टेटों और बागानों में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
22.	श्री जे. रमन, ठुम्मानट्टी, ग्राम और पोस्ट - थुम्मानट्टी, ऊटी, द नीलगिरिज-643002, तमिलनाडु।	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (घ) के अधीन चाय एस्टेटों और बागानों में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
24.	श्री निधेश हसमुखलाल शाह, 12, परिमल सोसाइटी, डालमिल रोड, सुरेन्द्रनगर -363001, गुजरात।	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ड) के अधीन चाय के निर्यातकों और आंतरिक व्यापारियों दोनों सहित व्यवहारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
26.	श्री भावेश रमेशभाई पटेल, संयुक्त प्रबन्धक निदेशक, विक्रम टी प्रॉसेसर प्राइवेट लिमिटेड, अजंता नगर, देवलगाँव राजा रोड, जालना - 431203, महाराष्ट्र।	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (च) के अधीन चाय के विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
27.	श्री पी. मोहनन, ताचुपुरामबिल, पो.ओ. - लोंट्री, लोंट्री एस्टेट, इडुक्की -685505, केरल।	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (च) के अधीन चाय के विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

28.	श्री रत्न नंदलाल बिदादा, प्रबन्धक निदेशक, बिदादा इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड, गंगा मैदान, सिन्हागड सोसाइटी, कन्हेरी रोड, मोती नगर लातूर-413512, महाराष्ट्र।	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (छ) के अधीन चाय के उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
29.	संत श्री नानक दास महाराज, सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान (एन.जी.ओ.) छपरी डूंगरी, पोस्ट- बड़ी खाट, तहसील- जयाल, जिला-नागौर, राजस्थान-341301।	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (छ) के अधीन चाय के उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
30.	श्री अशोक कुमार सक्सेना, 33, पार्न विल्ला, सेवक आश्रम रोड, देहारादून, उत्तराखंड -248001।	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ज) के अधीन अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
31.	श्री सुनील किरवई, भारतीय मजदूर संघ कार्यालय, म.नं. 136/ख, वाटर वर्कस् कॉलोनी, फायर सर्विस स्टेशन के समीप, पांडू, डाकघर रेस्ट कैम्प जिला- कामरूप- 781012, असम।	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ज) के अधीन अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।”।

[फा. सं. टी-49019/1/2018-प्लान्ट(क)]

बी. प्रवीण, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.नि.आ. सं. 944, तारीख 17 मार्च, 1954 द्वारा तारीख 18 मार्च, 1954 को प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. का.आ. 783(अ), तारीख 11 फरवरी, 2019 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th March, 2019

S.O. 1295(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953) read with rules 4 and 5 of the Tea Rules, 1954, the Central Government hereby appoints the following persons as members of the Tea Board with effect from the date of publication of this notification up to the 10th day of February, 2022, and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Commerce and Industry (Tea Control) number S.R.O. 944, dated the 17th March, 1954, namely:—

In the said notification, for serial number 11 to 16, 19 to 22, 24 and 26 to 31 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

“11.	Shri B. Kumaran, 6/415, Honnathali, Billicombi (Post), Nilgiris-643 214, Tamil Nadu.	Member	representing owners of tea estates and gardens and growers of tea under clause (c) of sub-rule (1) of rule 4.
12.	Shri Bipan Syngal, Secretary, Laghu Udyog Bharati – Unit North Bengal, Mag Tee Private Limited, Premium Apartment, 2 nd Floor, Shiv Mandir Road, Punjabipara, Siliguri-734001 West Bengal.	Member	representing owners of tea estates and gardens and growers of tea under clause (c) of sub-rule (1) of rule 4.

13.	Mrs. Diki Tashi Wangchuk Tashi Utpal, Below Tatong Government School, Tatong, P.O. Dara Gaun, Gangtok-737102, Sikkim.	Member	representing owners of tea estates and gardens and growers of tea under clause (c) of sub-rule (1) of rule 4.
14.	Shri Kishori Lal Agarwal, IA, 137, Sector 3, Salt lake, Kolkata-700096, West Bengal.	Member	representing owners of tea estates and gardens and growers of tea under clause (c) of sub-rule (1) of rule 4.
15.	Chairman, Indian Tea Association, Royal Exchange, 6, Netaji Subhas Road, Kolkata-700001.	Member	representing owners of tea estates and gardens and growers of tea under clause (c) of sub-rule (1) of rule 4.
16.	President, The United Planters' Association of Southern India, Post Box No.11, Glenview, Coonoor-643101.	Member	representing owners of tea estates and gardens and growers of tea under clause (c) of sub-rule (1) of rule 4.
19.	General Secretary, Assam Chah Mazdoor Sangh, Jiban Phukan Nagar, Dibrugarh-786003, Assam.	Member	representing persons employed in Tea Estates and Gardens under clause (d) of sub-rule (1) of rule 4.
20.	Ms. Bina Srivastava, W/o Shri Mahinder Nath, Village – Dugni, P.O. Mahahoo, The.– Palampur, District- Kangra, Himachal Pradesh.	Member	representing persons employed in Tea Estates and Gardens under clause (d) of sub-rule (1) of rule 4.
21.	President, Tea Association of India, India Exchange, 4, Maharana Pratap Sarani, 7 th Floor, India Exchange Place, Kolkata-700001.	Member	representing persons employed in Tea Estates and Gardens under clause (d) of sub-rule (1) of rule 4.
22.	Shri J. Raman, Thummanatty Village & Post, Ooty, The Nilgiris – 643002, Tamil Nadu.	Member	representing persons employed in Tea Estates and Gardens under clause (d) of sub-rule (1) of rule 4.
24.	Shri Nidhesh Hasmukhlal Shah, 12, Parimal Society Dalmill Road, Surendranagar-363001, Gujarat.	Member	representing dealers including both exporters and internal traders of tea under clause (e) of sub-rule (1) of rule 4.
26.	Shri Bhavesh Rameshbhai Patel, Joint Managing Director, Vikram Tea Processor Pvt. Ltd., Ajantha Nagar, Develgaon Raja Road, Jalna- 431203, Maharashtra.	Member	representing manufacturer of tea under clause (f) of sub-rule (1) of rule 4.
27.	Shri P. Mohanan, Tachupurambil, Londry P.O., Londry Estate, Idukki-685505, Kerala.	Member	representing manufacturer of tea under clause (f) of sub-rule (1) of rule 4.
28.	Shri Ratan Nandlal Bidada, Managing Director, Bidada Industries Pvt. Ltd., Ganga Mansion, Sinhagad Society, Kanheri Road, Moti Nagar, Latur-413512, Maharashtra.	Member	representing consumers of tea under clause (g) of sub-rule (1) of rule 4.
29.	Sant Shri Nanakdas Maharaj Satguru Kabir Ashram Sewa Sansthan (NGO) Chhapri Dungri, P.O.: Badi Khatu, Teh: Jayal, Distt: Nagor, Rajasthan-341301.	Member	representing consumers of tea under clause (g) of sub-rule (1) of rule 4.

30.	Dr. Ashok Kumar Saxena, 33, Parn Villa, Sewak Ashram Road, Dehradun, Uttarakhand-248001.	Member	representing other interests under clause (h) of sub-rule (1) of rule 4.
31.	Shri Sunil Kirwai, Bharatiya Mazdoor Sangh Karyalaya, H. No.136/B, Water Works Colony, Near Fire Service Station, Pandu, P.O. Rest Camp, Distt. Kamrup-781012, Assam.	Member	representing other interests under clause (h) of sub-rule (1) of rule 4.”.

[F. No. T-49019/1/2018-Plant(A)]

B. PRAVEEN, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 18th March, 1954 *vide* number S.R.O. 944, dated the 17th March, 1954, and lastly amended *vide* notification number S.O.783(E), dated the 11th February, 2019.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3073] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 18, 2019/भाद्र 27, 1941
No. 3073] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 18, 2019/BHADRA 27, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2019

का.आ. 3359(अ).—केंद्रीय सरकार, चाय नियम, 1954 के नियम 4 और 5 के साथ पठित चाय अधिनियम 1953 (1953 का 29) की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 10 फरवरी, 2022 तक के लिए चाय बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है और इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, (चाय नियंत्रण) की अधिसूचना तारीख 17 मार्च 1954 संख्यांक सा.का.नि. 944 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 8 तथा 9 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात् :-

8. श्री होरेन सिंह बे	सदस्य	नियम 4 के उप नियम (I) के खंड (ख)
संसद सदस्य, लोक सभा		के अधीन संसद का प्रतिनिधित्व करते हुए
9. श्री राजू बिस्ता	सदस्य	नियम 4 के उप नियम (I) के खंड (ख)
संसद सदस्य, लोक सभा		के अधीन संसद का प्रतिनिधित्व करते हुए।

[फा. सं.टी-49019/1/2018 -वागान -(क)]

दर्पण जैन, संयुक्त सचिव

नोट : मूल अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 944 तारीख 17 मार्च, 1954 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) तारीख 18 मार्च, 1954 में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक का.आ.1295(अ), तारीख 09 मार्च, 2019 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गयी थी।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th September, 2019

S.O. 3359(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953) read with rules 4 and 5 of the Tea Rules, 1954, the Central Government hereby appoints the following persons as members of the Tea Board with effect from the date of publication of this notification upto the 10th day of February, 2022, and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Commerce and Industry (Tea Control) number S.R.O. 944, dated the 17th March, 1954, namely: —

In the said notification, for serial numbers 8 and 9 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely: —

- | | | | |
|-----|--|--------|--|
| “8. | Shri Horen Singh Bey,
Member of Parliament, Lok Sabha | Member | representing Parliament under clause(b) of
sub-rule (1) of rule 4. |
| 9. | Shri Raju Bista,
Member of Parliament, Lok Sabha | Member | representing Parliament under clause(b) of
sub-rule (1) of rule 4”. |

[F. No. T-49019/1/2018-Plant (A)]

DARPAN JAIN, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 18th March, 1954 *vide* number S.R.O. 944, dated the 17th March, 1954, and lastly amended *vide* notification number S.O.1295 (E), dated the 9th March, 2019.